



राजेश कुमार यादव

**डॉ० अंबेडकर और उनकी दूरदर्शिता**

असि० प्रोफेसर- राजनीति विज्ञान, राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गाजीपुर (उ०प्र०), भारत

Received-16.03.2023, Revised-23.03.2023, Accepted-28.03.2023 E-mail: rajeshananya01@gmail.com

**सारांश:** स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माता डॉ० भीमराव रामजी अंबेडकर किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। डॉ० अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल, 1891 को ब्रिटिश भारत के मध्य प्रांत (मध्य प्रदेश) में स्थित महूनगर में हुआ था। वे हिंदू महार जाति के थे जो तब अछूत कही जाती थी। उनके बचपन का नाम भिवा था। अपनी जाति के कारण उन्हें सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा था। छुआछूत के कारण उन्हें अनेक कठिनाइयाँ आईं। बाल-विवाह की कुप्रथा के चलते 15 वर्ष की उम्र में उनकी शादी रमाबाई से हुई जो तब स्वयं 9 साल की थीं।

भीमराव अंबेडकर की प्रारंभिक शिक्षा सतारा शहर के गवर्नमेंट हाईस्कूल में शुरू हुई। अपने परिवार के मुंबई आने पर उनकी माध्यमिक शिक्षा एल्फिंस्टन रोड पर स्थित गवर्नमेंट हाईस्कूल में हुई। यह उनकी बुद्धिमत्ता एवं काबिलियत ही थी कि उन्होंने उन प्रतिकूल परिस्थितियों में विदेश में अपनी पढ़ाई पूरी की।

**कुंजीशब्द- अनुभव, मानवाधिकार, मौलिक अधिकार, अस्तित्वरणीय अधिकार, जन आंदोलन, संविधानिक लोकतंत्र।**

विपुल प्रतिभा के धनी अंबेडकर जी ने कोलंबिया विश्वविद्यालय और London School of Economics दोनों ही विश्वविद्यालयों से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधियाँ प्राप्त की एवं विधि, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में शोध कार्य भी किए।

अपनी आत्मकथा 'Waiting for a Visa' में अंबेडकर जी के छुआछूत, जाति के आधार पर भेदभाव की स्वयं पर बीती घटनाओं का वर्णन किया है। 'उन्होंने बताया है कि कैसे उन्हें विद्यालय में कक्षा में सबसे अलग बिलकुल कोने की सीट दी जाती थी जो बाकी बच्चों से दूर हो। प्यास लगने पर उन्हें नल छूने की भी मनाही थी। किसी नल को छू सकने का अधिकार पाए व्यक्ति द्वारा नल चलाया जाता था तब वे जल ग्रहण कर पाते थे।'

एक ऐसी ही और घटना इस प्रकार है- "सन् 1901 में अपने पिता के बुलाने पर जो उस समय गोरेगाँव में कैशियर थे, 9 वर्षीय अंबेडकर जी गर्मी की छुट्टियाँ मनाने सतारा से गोरेगाँव गए। उनके साथ उनके बड़े भाई और भतीजा भी थे। समृद्ध परिवार से होने के कारण तीनों अच्छी वेषभूषा में थे, इसलिए गोरेगाँव के स्टेशन मास्टर ने उन्हें ब्राह्मण जाति का समझा। उनकी असली जाति जानने पर उसने भी उनसे मुँह फेर लिया। चूँकि उनके आने का पत्र उनके पिता को समय पर नहीं मिला इसलिए उन्हें स्टेशन पर लेने कोई नहीं आया। परिणामस्वरूप उन्हें बैलगाड़ी खोजनी पड़ी। कई में से सिर्फ एक गाड़ीवाला उन्हें ले जाने को तैयार हुआ, लेकिन उसने भी यह शर्त रखी कि यात्री स्वयं बैलगाड़ी चलायेगाँ और वो बगल में चलेगा। रास्ते में सभी ने उनको पानी देने से मना कर दिया, क्योंकि वे अछूत जाति के थे।"

इन घटनाओं से न केवल अंबेडकर जी के स्वाभिमान बल्कि उनके कोमल मस्तिष्क और सोच पर भी गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने इन कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष करने की ठान ली।

अंबेडकर द्वारा भोगे गये इस यथार्थ के गहरे प्रभाव के कारण उन्होंने संविधान में 'अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), अनुच्छेद 15 (भेदभाव का निषेध) एवं अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता का निषेध)' को मौलिक अधिकारों के रूप में स्थान दिया। ये उनकी दूरदर्शिता ही मानी जायेगी क्योंकि वे चाहते थे कि भविष्य के भारत में ये कुरीतियाँ न फैलने पाएँ। उनका यह प्रयास काफी हद तक सफल भी हुआ है।

आरक्षण का प्राक्धान अंबेडकर जी ने पिछड़ी जातियों के उत्थान और उनको समाज में बराबर का दर्जा दिलाने के लिए संविधान में रखा। लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता के कारण उन्हें इस बात का अंदेश था कि आगे चलकर इस प्राक्धान का दुरुपयोग हो सकता है। अतः उन्होंने इसकी समय सीमा केवल 10 वर्ष के लिए निर्धारित की। उनका यह सोचना सही था क्योंकि आज के भारत में आरक्षण का लाभ पिछड़ी जातियों के उच्च तबके को मिल रहा है जबकि निम्न वर्ग और गरीब होता जा रहा है। राजनीतिक पार्टियाँ अपने स्वार्थ और वोट की राजनीति के चलते इसकी समय सीमा बढ़ाती ही जा रही है। इसी के चलते समाज के अन्य वर्ग भी आरक्षण की मांग पर उतर आए हैं।

अंबेडकर जी ने कई धर्म-ग्रंथों, इतिहास का गहन अध्ययन किया था और अंग्रेज सरकार के शासन में हो रहे अत्याचारों को स्वयं देखा और महसूस किया था। लगभग मुगल काल से ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सामान्य जन को नहीं थी। चाटुकारों का बोलबाला था, शासन जो चाहता था वहीं ब्रह्मवाक्य होता था। अंग्रेजी सरकार ने इसका फायदा उठाते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता न के बराबर कर दी। जनता पर बेशुमार जुल्म किये। प्रेमचंद की पुस्तक 'सोजे-वतन' का अंग्रेजी सरकार द्वारा जब्त होना और जला दिया जाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हनन का एक उदाहरण है। अंबेडकर जी निश्चित

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ASVP PIF-9.005 /ASVS Reg. No. AZM 561/2013-14



ही इन सभी बातों से परिचित रहे होंगे। भविष्य के भारत में अभिव्यक्त की इस स्वतंत्रता पर काले बादल न मँडराएँ और लोकतंत्र की भावना भारत में सर्वथा फले-फूले, इस कारण उन्होंने संविधान में 'अनुच्छेद 19(1) (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता)' के मौलिक अधिकार का प्रावधान किया।

अंग्रेजी सरकार के शासनकाल में बेगारी प्रथा का प्रचलन था। इसके तहत अंग्रेज अफसर एवं जमींदार निम्न वर्ग के लोगों से जबरन मजदूरी करवाते थे, सामान उठवाते थे और सेवा करवाते थे। इन सबके बदले में उन मजदूरों को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता था। यह गुलामी का एक नया स्वरूप था। इन सभी चीजों से अंबेडकर जी भली-भाँति परिचित थे। इन्हें ध्यान में रखकर ही उन्होंने भारतीय संविधान में 'अनुच्छेद 23 एवं 24 (शोषण के विरुद्ध अधिकार)' को स्थान दिया। उनको इस बात का आभास था कि आगे चलकर भी ऐसी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। अतः इन पर अभी रोक लगाना अनिवार्य है। यह उनकी दूरदर्शिता का ही एक उदाहरण है।

हिंदू धर्म की निम्न जाति का होने के कारण डॉ० अंबेडकर को बचपन से ही भेदभाव, छुआछूत एवं अपने ही धर्म के आडंबरों को झेलना पड़ा था। साथ ही उन्होंने अंग्रेजों के शासन में जबरदस्ती धर्म-परिवर्तन करवाने की कुप्रथा को फलते-फूलते देखा। उन्होंने धर्माडम्बरों का खंडन करते हुए स्वयं बौद्ध धर्म स्वीकार किया। उन्हें यह आभास था कि भविष्य में भी यह कुप्रथा अपना सिर उठा सकती है जिसकी चपेट में आम जनता ही होगी। धर्म के आधार पर भेदभाव न हो इसके लिए उन्होंने 'अनुच्छेद 25 (धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार)' को भारतीय संविधान में जगह दी। इसमें यह स्पष्ट किया गया कि हर व्यक्ति अपने धर्म का आचरण एवं प्रचार-प्रसार करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। उनकी इसी दूरदर्शिता के कारण भारत में अनेक धर्म होते हुए भी एकता और सर्वधर्म सम्भाव का वास है।

डॉ० अंबेडकर संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। भारत के संविधान का मूल रूप ही बहुत व्यापक था जिसमें लगभग हर बात को विस्तारपूर्वक लिखा गया। इसके बाद भी डॉ० अंबेडकर का ऐसा मानना था कि संविधान में आगे चलकर भी बहुत-सी चीजें जोड़ने या हटाने की आवश्यकता पड़ सकती। उनका यह पूर्वानुमान गलत साबित नहीं हुआ। भारतीय संविधान में अभी तक 100 से ज्यादा संशोधन हो सके हैं जिनमें से एक उदाहरण 'राष्ट्रीय माल और सेवा कर (Goods & Services Tax - GST - 101वाँ संशोधन)' है। जनता को शोषण से बचाया जा सके और संविधान में भविष्य में चीजें सही ढंग से बताई जा सकें इसके लिए डॉ० अंबेडकर ने 'अनुच्छेद 32 (संवैधानिक उपचारों का अधिकार)' को भारतीय संविधान में महत्त्वपूर्ण दजा दिया और स्वयं ही इस अनुच्छेद को 'भारतीय संविधान की आत्मा' कहा।

डॉ० अंबेडकर की बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता का पता जम्मू-कश्मीर से जुड़े दो महत्त्वपूर्ण अनुच्छेदों से भी चलता है। 'अनुच्छेद 370'9 जो कि जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता है, वहाँ के लिए अलग संविधान, अलग झण्डा आदि लागू करने की अनुमति देता है एवं 'अनुच्छेद 35A'10 जो कि अन्य किसी भी भारतीय को जम्मू-कश्मीर में संपत्ति खरीदने से प्रतिबंधित करता है; ये दोनों ही अनुच्छेद संविधान में डॉ० अंबेडकर की इच्छा के विरुद्ध जोड़े गए थे। उन्होंने इन दोनों अनुच्छेदों का पुरजोर विरोध किया था। उनका यह मत था कि आगे चलकर इस प्रकार के अनुच्छेद भेदभावकारी साबित होंगे एवं ये अनुच्छेद देश की एकता और अखंडता में विकार उत्पन्न कर सकते हैं। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर का सुचारू रूप से विकास भी संभव नहीं हो पाएगा। उनकी दूरदृष्टि सही साबित हुई क्योंकि आज भी जम्मू-कश्मीर में असुरक्षा एवं असमंजस की स्थिति लगातार बनी हुई है, जिसे हम सुलझा नहीं पाए हैं।

इस प्रकार एक दूरदर्शी विधिवेत्ता राजनीतिज्ञ के साथ-साथ आम जन के मनोभावों, परिस्थितियों को भली-भाँति जानने वाले डॉ० भीमराव अंबेडकर जी जैसा व्यक्ति हमारे स्वतंत्र भारत की नींव के पत्थर जैसा थे, इस बात का हम सभी को हमेशा गर्व रहेगा। उनकी दूरदर्शिता, रचनात्मकता, बुद्धिमत्ता के प्रकाश में हम भारत की अखण्डता और संप्रभुता की रक्षा करने में सफल होंगे।

### संदर्भ ग्रन्थ सूची

- 1 & 2 Waiting for a Visa - Autobiography by Dr. B.R. Ambedkar
- 3, 4, 5, 6 Constitution of India
7. Wikipedia - GST
- 8, 9, 10 - Constitution of India

\*\*\*\*\*